

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 04(15)शिक्षा-1/2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 8/7/2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- 38 ब्लॉक्स में "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" की स्थापना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 08.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा 38 "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

आदेश दिनांक 08.06.2020 में अंकित क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	पूर्व स्वीकृत महात्मा गांधी विद्यालय	संशोधित विद्यालय का नाम
14	HANUMANGARH	RAWATSAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAWATSAR (08020415702)	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NO 1 RAWATSAR WARD NO 11 (08020415301)
12	HANUMANGARH	NOHAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAK SARDARPURA 15 BARANI (08020217703)	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NO.1 NOHAR (08020224301)

शेष शर्तें पूर्व आदेशानुसार रहेंगी।

भवदीय,



(अशोक कुमार त्रिवेदी)

शासन उप सचिव-प्रथम

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।

5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. उप निदेशक (माध्यमिक), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
14. उपनिदेशक, योजना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
15. शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
16. समस्त, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
17. नोडल अधिकारी शाला दर्शन/शाला दर्पण को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विद्यालय को अपलोड करवाने की सुनिश्चितता करावें।
18. रक्षित पत्रावली।

RS
08/07/2020

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी—शिक्षा

www.rajteachers.com